गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर ।

ई–नीलामी की सूचना

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर की प्रबन्ध व्यवस्था के अर्न्तगत आने वाले नैसर्गिक झील रामगढ़ताल में नया सवेरा पर क्रूज (Cruise) के संचालन हेतु 10 वर्ष के लिए ई–नीलामी के माध्यम से मासिक किराये पर स्थल आवंटन हेतु दिनांक 27.05.2022 से दिनांक 10.06.2022 तक आमंत्रित की जाती है, जिसकी ई–नीलामी दिनांक 14.06.2022 को सम्पन्न होगी। ई–नीलामी से सम्बन्धित नियम व शर्ते प्राधिकरण की वेबसाइट **www.gdagkp.in** पर उपलब्ध है । सभी बोलीदाता नियमित रूप से वेबसाइट में ई–नीलामी देखते रहे, अलग से किसी प्रकार के परिवर्तन, संशोधन की जानकारी अन्य माध्यम से नही दी जायेगी । आवेदन पत्र आन लाईन ही स्वीकार किया जायेगा।

(यू0 पी0 सिंह)
सचिव

(प्रेम रंजन सिंह)
उपाध्यक्ष

रामगढ़ताल परियोजना में नया सवेरा पर क्रूज (Cruise) के लिए ई–नीलामी के माध्यम से स्थल किराये पर आवंटन हेतु नियम व शर्ते :–

1– यह कि क्रूज के ई–नीलामी हेतु न्यूनतम आरक्षित मासिक किराया रू0–3,00,000.00 (जी0एस0टी0 अतिरिक्त) प्रतिमाह पर ई–नीलामी की जायेगी।

2– यह कि बोली में भाग लेने वाली फर्म को रू0–2,00,000.00 की अर्नेस्ट मनी जमा करनी होगी। सफल बोली दाता को जमानत के रूप में रू0–12,00,000.00 की धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक से **Unconditional and irrevocable Bank Guarantee** अथवा **FDR** बनवाकर प्रस्तुत करनी होगी, जिसकी बैधता 03 वर्ष की होगी। अरनेस्ट मनी को जमानत राशि में समायोजित किया जा सकता है। **Bank Guarantee** अथवा **FDR** को प्रत्येक तृतीय वर्ष पर लाईसेन्स नवीनीकरण की तिथि से पहले 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ नवीनीकृत कराकर प्रस्तुत करना होगा।

3– यह कि अधिकतम बोली दाता को कार्य प्रारम्भ की तिथि से तीन महीने के अन्दर क्रूज का निर्माण **NOC** की शर्तो के अनुसार स्वयं के व्यय पर करना होगा। तीन माह पश्चात 06 माह के लिए रेन्ट में छूट दी जायेगी।

4– यह कि प्रथम छः माह की छूट अनुमन्य होने के पश्चात् एक वर्ष तक अधिकतम बोली के अनुसार (जी0एस0टी0 अतिरिक्त) प्रतिमाह की दर से रेण्ट जमा करना होगा। एक वर्ष पश्चात् रेन्ट की दरों का पुनः निर्धारण इस हेतु गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके पश्चात् क्रूज का संचालन के लिए 10 वर्ष तक की अनुमति होगी, जो कि कार्य सन्तोष जनक स्थिति में 05 वर्ष बढ़ाया जा सकता है।

5– यह कि क्रूज के संचालन हेतु खान–पान की दरो का निर्धारण द्वितीय पक्ष द्वारा बाजार दर पर किया जायेगा व किसी भी शासकीय कर इत्यादि के भुगतान का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

6– यह कि द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष के कोष में समय से किराया अदा नही करेगा, तो उसे 18 प्रतिशत की दर से दण्डात्मक ब्याज एवं उस पर देय जी0एस0टी0 अदा करना पड़ेगा ।

7– यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा निरन्तर 03 माह तक किराये की धनराशि जमा नही की जाती है, तो प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि जमा जमानत धनराशि को जब्त कर वह किरायेदारी रद्द कर दें और कब्जा वापस ले लेवें ।

8– यह कि द्वितीय पक्ष को निदिष्ट स्थल पर क्रूज के संचालन हेतु यथा आवश्यक नियमानुसार प्रथम पक्ष से अनुमति प्राप्त कर तद्पोरान्त निर्धारित किराया द्वितीय पक्ष द्वारा नियमित रूप से प्रथम पक्ष के कोष में जमा करना होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष द्वारा उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार का स्थायी संरचना/निर्माण नही किया जायेगा अन्यथा प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि आवंटन/अनुबन्ध रद्द करके स्थल पर कब्जा वापस ले लेवें ।

9– यह कि क्रूज का संचालन विधि विहित प्रकिया एवं नियमानुसार किये जाने हेतु सम्बन्धित विभागों/सक्षम अधिकारियों से आवश्यक अनुमति, रजिस्ट्रेशन एवं परमिट आदि प्राप्त करने का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा एवं इस सम्बन्ध में होने वाले सम्पूर्ण व्ययों को द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।

10– यह कि क्रूज सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यक कर्मचारियों/परामर्शदाताओं/ विशेषज्ञों के नियोजन का दायित्व भी द्वितीय पक्ष का होगा व इस सम्बन्ध में होने वाले सम्पूर्ण व्ययों को द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।

11– यह कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष द्वारा दी गयी स्थल की अनुज्ञा (लाईसेन्स) में वर्णित प्रयोजन यथा क्रूज के संचालन हेतु करेगा। इसके अलावा किसी अन्य उद्देश्य/प्रयोजन हेतु इसका प्रयोग नही किया जा सकेगा।

12– यह कि द्वितीय पक्ष क्रूज में स्वयं कारोबार करेगा, किसी अन्य व्यक्ति को जो उसके परिवार का सदस्य नही है, किसी भी हैसियत से बिना इजाजत प्रथम पक्ष आबाद नही करायेगा और न ही किसी अन्य को किराये पर देगा ।

13– यह कि द्वितीय पक्ष को किसी भी व्यक्ति को कूज हस्तान्तरित करने का अधिकार नही होगा।

14– यह कि कूज के संचालन हेतु आवश्यक फूड कन्ट्रोल, पेयजल, विद्युत, अग्नि शमन, जीरो वेस्ट डिस्पोजल आदि की सम्बन्धित विभागों से आवश्यक क्लीयरेन्स (एन0ओ0सी0) प्राप्त करने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा व उसके सम्बन्ध में आवश्यक समस्त व्यय आदि का वहन द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा।

15– यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष के पास जमानत धनराशि के रूप में जमा रू0–12,00,000.00 (रूपया दस लाख) की धनराशि पर कोई ब्याज देय नही होगा। यदि द्वितीय पक्ष पर प्रथम पक्ष का किसी प्रकार का बकाया है, तो उसका समायोजन जमानत धनराशि से किये जाने हेतु प्रथम पक्ष स्वतन्त्र होगा।

16– यह कि कूज स्वयं के संसाधनों सहित संचालित करने हेतु निर्धारित नियम व शर्तो के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रथम पक्ष को समय–सयम पर निरीक्षण करने का अधिकार होगा और प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं उनके द्वारा अधिकृत प्राधिकरण के अधिकारी/कर्मचारी/विशेषज्ञ एवं परामर्शी निरीक्षण करने के अधिकारी होंगे तथा संचालन किसी भाग/अंश में निरीक्षण के दौरान कोई अनियमितता अथवा निर्धारित नियम एवं शर्तो के उल्लंघन सम्बन्धी कोई कृत्य पाये जाने की दशा में प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को समुचित निर्देश निर्गत करने तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र होगा।

17– यह कि सभी आवश्यक शुल्कों/करों का भुगतान द्वितीय पक्ष को करना होगा।

18– यह कि बोलीदाता को इस क्षेत्र में न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

19– यह कि प्रथम पक्ष को कूज के संचालन हेतु समय–सयम पर आवश्यक निर्देश जारी करने का अधिकार होगा तथा द्वितीय पक्ष को उक्त निर्गत निदेर्शो का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।

20– यह कि कूज का सुव्यवस्थित एवं कुशल संचालन एवं आवश्यक रख–रखाव, साफ–सफाई आदि की व्यवस्था की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी तथा किसी अव्यवस्था, आकस्मिक घटना, दुर्घटना अथवा संयोगवश परियोजना का कोई ग्राहक, लाभार्थी, कर्मचारी अथवा कोई विजिटर क्षतिग्रस्त होता है तथा क्षतिपूर्ति का दावा करता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति करने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

21– यह कि द्वितीय पक्ष अथवा उसके कर्मचारीगण अतिथियों अथवा पर्यटकों के साथ दुर्व्यहार अथवा झगड़ा–फसाद नही करेंगे तथा उनकी सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

22– यह कि द्वितीय पक्ष कूज के संचालन के अतिरिक्त किसी प्रकार अवैध अथवा अनैतिक कृत्य नही करेगा और न ही ऐसे अवैध एवं अनैतिक कृत्य किये जाने हेतु किसी को अनुमति या प्रश्रय प्रदान करेगा।

23– यह कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के मध्य निष्पादित लाईसेन्स/अनुबन्ध को प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को बिना कोई कारण दर्शाये 30 दिन का नोटिस देते हुए समाप्त किया जा सकेगा। उपरोक्त स्थिति में द्वितीय पक्ष को किसी प्राकार की प्रतिपूर्ति (कम्पनशेसन) देय नही होगा।

24– यह कि लाईसेन्स समाप्त होने/निरस्त किये जाने की दशा में द्वितीय पक्ष कूज का संचालन बन्द करते हुए यदि कोई उपकरण/सामग्री प्रथम पक्ष से प्राप्त किये है, तो उक्त सामग्री को यथास्थिति में प्रथम पक्ष को वापस करनी होगी।

25– यह कि कूज का संचालन हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा सम्पत्ति की सुरक्षा एवं किसी दुर्घटना आदि के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति दिये जाने हेतु अपने व्यय पर द्वितीय पक्ष द्वारा सर्वग्राही इन्श्योरेन्स कराया जायेगा।

26– यह कि आपरेटिंग एरिया में एक्वेटिक लाइफ की सुरक्षा की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

27– यह कि झील में पानी प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। अतः झील का स्तर कम अथवा अधिक होने की स्थिति में वे झील की सफाई के समय कूज का संचालन प्रभावित होने पर द्वितीय पक्ष का किसी प्रकार का क्लेम मान्य नही होगा।

28– यह कि दैवीय आपदा की स्थिति में रेन्ट के छूट के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, गोरख्पुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर का निर्णय अन्तिम होगा।

29– यह कि कूज के अधीन संचालित सेवाओं एवं सुविधाओं से सम्बन्धित सभी स्थानों का समुचित रख–रखाव, साफ–सफाई आदि की व्यवस्था का पूर्ण दायित्व द्वितीय पक्ष अपने व्यय पर स्वयं वहन करेगा।

30– यह कि यदि विकास प्राधिकरण/नगर निगम/सिचाई विभाग/शासन द्वारा एवं माननीय न्यायालय द्वारा द्वितीय पक्ष को झील में निर्दिष्ट स्थल के सम्बन्ध में कोई आदेश/निर्देश निर्गत किये जाते है या कोई नियम एवं शर्त निर्धारित की जाती है, जिससे आवंटित स्थल प्रभावित हो तो इन नियमों/शर्तो के अनुसार कार्यवाही की जायेगी जो द्वितीय पक्ष को मान्य/बाध्य होगी। इस सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष से किसी भी प्रकार का प्रतिकर पाने का कोई अधिकार नही होगा।

31– यह कि कूज के संचालन एवं व्यवस्था के सम्बन्ध में पर्यावरण सम्बन्धी कानूनों का अनुपालन द्वितीय पक्ष को सुनिश्चित करना होगा।

32– यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा उपरोक्त समस्त नियम एवं शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्तानुसार उल्लिखित किसी एक अथवा अधिक नियम एवं शर्तों का द्वितीय पक्ष द्वारा उल्लंघन किये जाने पर अथवा किसी कानून का उल्लंघन किये जाने पर अथवा शासकीय तथा न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से अनुपालन न किये जाने पर अथवा सन्तोषजनक सेवा व व्यवस्था प्रदान न किये जाने की स्थिति में जमा समस्त जमानत धनराशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर को होगा। ऐसी दशा में द्वितीय पक्ष को कोई क्षतिपूर्ति या मुआवजा देय नही होगा।

33– यह कि कूज का संचालन एन0जी0टी0 के निर्णय के अधीन होगा।

34– यह कि किसी भी प्रकार के विवाद होने की दशा में न्यायिक क्षेत्र गोरखपुर होगा।

35– यह कि कूज के संचालन की गतिविधि हेतु उपलब्ध कराये गये स्थल पर कोई क्षति कारित नही की जायेगी।

36– यह कि शर्तो आदि के सम्बन्ध में विवाद की स्थिति में विवाद का निस्तारण आर्बिट्रेशन एण्ड कन्सीलिएशन एक्ट 1996 के प्राविधानों के अनुसार होगा।

37– यह कि लाइफ गार्ड टीम के साथ सुरक्षा सम्बन्धी सभी उपकरण यथा लाइफ जैकेट, फर्स्ट ऐड किट, आक्सीजन केन, हाई पावर टार्च आदि हर समय उपलब्ध रखने की जिम्मेदारी बोली दाता की होगी।

38– यह कि सम्पूर्ण एरिया को "**No Smoking Zone**" के रूप में विकसित करते हुये अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के साथ सभी आवश्यक उपकरणों की स्थल पर व्यवस्था करनी होगी तथा अग्नि शमन विभाग की अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।

39– यह कि कूज का स्वामित्व द्वितीय पक्ष का होगा। कूज का **Desgin and Fabrication** कुशल इन्जीनियर्स/एक्सपर्ट की देखरेख में इस हेतु निर्धारित विशिष्टियों एवं **IS Code** के प्राविधानो के अनुसार स्वयं के खर्चे पर कराना होगा तथा **Sturcture Safety** का प्रमाण–पत्र देना होगा। दो तल से अधिक के निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

40– यह कि कूज नया एवं पूर्ण रूप से चालू स्थिति में होना चाहिए। टिकट काउण्टर एवं कूज में सी0सी0 टी0वी0 कैमरा स्थापित किया जायेगा।

41– यह कि किसी भी दशा में **100 Visitors** से अधिक पर्यटकों के कूज में बैठने की अनुमति नहीं होगी तथा इसका उपयोग रात्रि में पर्यटकों के विश्राम के लिए नही किया जायेगा।

42– यह कि **Visitors** के लिये पार्किंग की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की स्वयं की होगी।

43– यह कि या सवेरा पर निर्धारित स्थान पर ही कूज चलाने की अनुमति होगी।

44– यह कि किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन बिना सक्षम स्तर से लाईसेन्स प्राप्त किये प्रतिबन्धित रहेगा।

45– यह कि प्रस्तावित कूज को किसी अन्य एजेन्सी को **Sublet** नहीं किया जायेगा।

46– यह कि विद्युत/प्रकाश इत्यादि की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को स्वयं करनी होगी।

47– यह कि **Soild waste disposal** हेतु **Zero waste management policy** का पालन करना होगा। जिस हेतु **Pollution** विभाग की अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।

48– यह कि रात्रि 11.00 बजे के पश्चात् कूज के संचालन की अनुमति नहीं होगी। 11.00 बजे से 12.00 बजे का समय कूज की सफाई/रख–रखाव के लिए अनुमन्य होगा।

49– यह कि **Wet land** होने के कारण पर्यावरण विभाग की **NOC** प्राप्त करनी होगी।

50– यह कि कूज के संचालन हेतु नगर निगम की अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।

51– यह कि **GDA** के कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को 20% की छूट प्रदान की जायेगी।

52– यह कि यदि झील में पर्यटन हेतु अन्य कूज के संचालन की अनुमति दी जाती है, तो द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति नही होगी।

53– यह कि उपरोक्त के अलावा अन्य किसी विभाग की अनापत्ति की आवश्यकता होगी तो वह भी फर्म को उपलब्ध करानी होगी।

LakeCruise की मुख्य विशेषतायें

1- Lake Cruise (Capacity 100 Pax)- A passanger cum cruise vessel with wider deck area to minimize the view of the Taal, nominal maintenance, eco friendly and equipped with solar power.

Cruise features- (Deck Length 30 meters, Breadth Approx-7.3 Meters, Depth of Hull Approx- 5Ft, Speed Approx- 5 to 7 Knots, Propulsoin Engine-140HP, Fuel tank- 2 Nos(capacity 200l), Steel Hull (China type Catamaran), Main Deck Seating Arragment, Wooden Framed Dining Tables and cushioned chairs, Spilt Airconditioning System, Deck insulated with suitable material, Sufficient LED type illumination, Upper deck fabricated with canopy structure, Forwad space with viewing gallery.)

2- Safety Mangement- Vessel will be equipped with firefighting and lifesaving equipment as per statutory requirement . Life guard team will be provided around the Cruise to avoid any kind of fall of visitors.

3- High level stability and low rolling motion- Easy placement and mobility in water body at low speed, propeller guard to save aquatic life in the operating area.

4- Zero waste management Policy - Liquid and solid both the solid waste would be collected and separated into different category like wet waste and dry waste.

5- Unique interior and exterior- To promote more audience footfall.

6- The Design and Fabrication- Entire structure (ground deck and upper deck) would be designed and fabricated by experienced organization.

7- Operation timing- The ship shall offer cruise services to passengers and shall take multiple rounds of lake of 1 hours 30 minutes each daily.

Morning (7.00 a.m. to 10.00 a.m.)- breakfast

Afternoon-(lunch),

evening-(hi-tea)

Night-(dinner) up to 11.00 p.m.

8- Safety management:- Life guard team will be available along with all security measures (life jackets, first aid kit, oxygen cans etc) a mesh will be provided alround the boat to avoid any kind of fall of visitors.

9- Fire safety – The entire area would be no smoking Zone. Fire extinguishers will be placed at required places.

10- Biolgical safety- The organization will do support to maintain the Biolgical safety of the lake.

11- Crowd managment:- On line seat reservation system will be provided to all visitors.

12- Economy Zone:- A special Economy Zone will be created which will increase the trade business, employment etc .